क्रम संख्या–171 पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, शनिवार, 06 अक्टूबर, 2018 ई0
आश्विन 14, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 350 / XXXVI(3) / 2018 / 79(1) / 2018
देहरादून, 06 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड(1) के अधीन श्री राज्यपाल ने "उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2018" पर दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अध्यादेश संख्या 03, वर्ष– 2018 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2018

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्याः 3 वर्ष 2018)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (अधिनियम संख्या 01 वर्ष 1951) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

(भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

चूंकि, उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैः–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 है।

(2) नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद और छावनी परिषद क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले और समय–समय पर सम्मिलित किये जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 143क का अंतःस्थापन

2. उत्तराखण्ड(उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001), जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 143 के पश्चात धारा 143क निम्नवत् अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"143क. धारा 143 में किसी बात के होते हुए भी किसी भूमिधर द्वारा अपनी भूमि का प्रयोग औद्योगिक प्रयोजन से करने के आशय से सक्षम प्राधिकारी की अनुमति/सम्मति प्राप्त होते ही वह भूमि अथवा धारा 154 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनों हेतु क्रय की गयी भूमि धारा 143 के अन्तर्गत स्वयमेव औद्योगिक आशय से प्रख्यापित हुई समझी जायेगी;

परन्तु यह कि राज्य सरकार अथवा जिलाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा भूमि क्रय करने की दी गयी अनुमति की शर्तों का पालन न करने अथवा किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा

जिस प्रयोजन हेतु भूमि क्रय की गयी है उससे अन्यथा प्रयोग करने पर अन्तरण शून्य होगा एवं धारा 167 के परिणाम उत्पन्न हो जायेंगे। स्पष्टीकरणः– इस धारा में उल्लिखित "औद्योगिक प्रयोजन" शब्द के अन्तर्गत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक प्रयोजन भी सम्मिलित है।"

धारा 154 की उप धारा (2) का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 154 की उपधारा (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्–

"(2) तत्समय प्रवृत्त भौमिक अधिकार से सम्बन्धित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार अपने सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यदि उसकी यह सम्मति है कि ऐसा अन्तरण औद्योगिक प्रयोजनों के लिए किया गया है या एक पंजीकृत सहकारी समिति या दानोत्तर प्रयोजनों के लिए स्थापित संस्था के पक्ष में किया गया है जिसके पास उसकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है अथवा यह कि अन्तरण जन–साधारण के हित में किया गया है तो उपधारा (1) में स्वीकृत सीमा से अधिक अन्तरण करने का अधिकार प्रदान कर सकेगी।

स्पष्टीकरण– 1– इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'कुटुम्ब' का अर्थ है अन्तरिती स्वयं उसकी पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, तथा अल्पवयस्क बच्चे और जहाँ अन्तरिती अवयस्क है उस बालक या बालिका के माता–पिता भी।

स्पष्टीकरणः 2– उपधारा (2) में उल्लिखित "औद्योगिक प्रयोजनों" का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य के जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा का सम्पूर्ण भू–भाग तथा जिला देहरादून के विकासनगर, **डोईवाला**, सहसपुर तथा रायपुर विकासखण्ड को छोड़कर **अन्य सभी** पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड, जिला नैनीताल के हल्द्वानी एवं रामनगर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड के अन्तर्गत की भूमि के क्रय से है।"

बेबी रानी मौर्य
राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।